सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं.- 356/21 **दिनांक- 29 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तारी एक लूटेरा गिरफ्तार, अवैध कट्टा व कारतूस के साथ चोरी की मोटर साइकिल फर्जी रजिस्टेशन नं0 के साथ एक RC पेपर भी बरामद

दिनांक 22.07.2021 को श्री रतिक पाठक पुत्र जितेन्द्र कुमार पाठक ग्राम पठकौली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया हाल पता ग्राम सदरपुर बरौली द्वारा प्रार्थना पत्र बावत चार अज्ञात व्यक्ति द्वारा जनसेवा केन्द्र मे घुसकर असलहा दिखाकर पैसे मांगने विरोध करने पर कट्टे से फायर कर देना जिससे वादी के पेट मे चोट लगना शोर गुल होने पर बदमाश द्वारा एक मोटर साइकिल छोड़कर भागना पीछा करने पर बदमाश द्वारा फैजान पुत्र सूफियान साकिन कौड़िया की मोटर साइकिल नं0 UP 50 AH 0897 यूनिकार्न को लूट कर भाग जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किये थे जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2021 धारा 392/393/307 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री कमलाशंकर गिरी को सुपुर्द ही घटना दिनांक को ही पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षक किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्म0गणो को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियान द्वारा दि0 28.07.21 को दौराने क्षेत्र भ्रमण तलाश वाछित हम पुलिस बल आपस मे दि0 22.07.21को हुई लूट के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी मुखबिर खास आकर मिला और बताया कि साहब जो चारों बदमाश सदरपुर बरौली में ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट का प्रयास किए थे और आगे जाकर एक मो0सा0 लूट कर भागे थे वह अम्बारी से नहर के रास्ते से सहजेरपुर की तरफ आने वाले हैं तथा किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराहियान के सहजेरपुर से अम्बारी जाने वाले नहर के रास्ते पर प्लाई फैक्ट्री के आगे बबूल के पेड़ के पास पहुंच कर प्र0नि0 द्वारा टीम का नेतृत्व करते हुए अपने व हमराहीयान को प्रथम तीम तथा S.I शिवभजन प्रसाद मय हमराहियान H.C परवेज अख्तर रि0का0 आलोक सिंह को द्वित्तीय टीम में नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर बबूल के पेड़ के पास प्रथम टीम व 20 कदम अम्बारी की तरफ द्वित्तीय टीम को नियुक्त कर संदिग्ध व्यक्तियों के आने का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में अम्बारी की तरफ से दो मो0सा0 आती दिखाई दी जिस पर हम दोनों टीम सतर्क हो गए तथा कार्य योजना के तहत गाड़ी रोकने की जिम्मेदारी प्रथम टीम प्र0नि0 द्वारा गाड़ियों को रोका गया तो पुलिस को सामने देखकर दोनों मो0सा0 पीछे मुड़कर भागे की एक मो0सा0 असंतुलित होकर गिर गयी तब तक दुसरी टीम के पुलिस कर्मी घेरा बंदी कर लिए मो0सा0 से गिरे बदमाश अपने को पुलिस से घिरा देखकर एक ने हम पुलिस वालों के ऊपर फायर करने लगे जिसे हम पुलिस वाले सीखलाए गए तरीके से बचाव किए हम पुलिस वाले जान की परवान न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को ललकारा कि तुम पुलिस के घेरे में आ गए हो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वर्ना मारे जाओगे तब तक एक बदमाश मौके का फायदा उठा कर दूसरे मुंह से भाग रहे बदमाशों की मो0सा0 पर बैठकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए तीनों बदमाश फायर करते हुए भागने लगे जिसे पुलिस फोर्स द्वारा पीछा किया गया लेकिन भागने में सफल रहे मौके पर एक बदमाश पकड़ा गया पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागे हुए बदमाश फायरिंग करने का कारण पूछा गया तो अपना नाम बेलाल S/O अब्बास अहमद नि0 मोहल्ला संतकबीर नगर कस्बा व थाना मेहनगर आजमगढ़ बताया था भागे हुए बदमाशों के बारे में पूछा गया तो एक का नाम विवेक सिंह S/O राज नारायण सिंह नि0 गजोर थाना में नगर आजमगढ़, दूसरे का नाम ऋतिकेश उर्फ ऋषिकेश चौहान उर्फ कुणाल चौहान S/O सीताराम चौहान निवासी निकट तहसील मेंहनगर थाना में मेहनगर आजमगढ़ तीसरे का नाम कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता उर्फ अतुल राजपूत S/O जफर उर्फ चुन्नू R/O परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये बदमाश को दिनांक 28.07.2021को समय 19.30 बजे बकायदा बाजाफ्ता हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा अभि0गणो के विरुद्धमु0अ0सं0 118/21 धारा 307,411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब हम लोगों का एक गैंग है जिसमें मैं विवेक सिंह, कमर हसन रितिकेश चौहान मिलकर लूटपाट करते हैं हम लोगों द्वारा अक्सर राह चलने वाले व्यवसाई को लक्ष्य बनाकर लूट लेते हैं और विरोध करने पर गोली चला कर घायल कर अपना बचाव करते हुए भाग जाते हैं दि0 22.7.21 को हम चारों मिलकर एक ग्राहक सेवा केंद्र सदरपुर बरौली में जाकर लूटने का प्रयास किए थे किन्तु विरोध होने पर विवेक ने अपने कट्टे से लक्ष्य बनाकर विरोध करने वाले व्यक्ति के ऊपर गोली चला दिया था फिर वह उलझ गया तथा कट्टा छिनने लगा था तब हम लोग अपने अपने असलहे से फायर कर अपने साथियों को छुड़ाकर अपनी गाड़ी पल्सर मौके पर छोड़कर भागे मैं और रितिकेश चौहान स्प्लेंडर से भागे थे और नेता उर्फ कमर हसन और विवेक पैदल भागने लगे थे कुछ दूर जाकर हम चारों लोगों ने फिर एक राह चलते व्यक्ति से एक यूनिकॉर्न मो0सा0 कट्टा दिखाकर छीन कर भाग गए थे उक्त मो0सा0 की डिक्की में गाड़ी की RC जो मेरे पास से बरामद हुई है मौके पर पड़ी मो0सा0 पल्सर जो घटना के वक्त छूट गई थी वह मो0सा0 विवेक की है कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग करीब 10-12 छोटी-बड़ी घटना कर चुके हैं प्रधानी चुनाव के मतगणना के 6-7 दिन बाद बीनापारा पुल पर एक लड़का चश्मा लगाए मो0सा0 से जा रहा था हम लोग नहर पुलिया से पीछा करते हुए लूटने की योजना बनाकर पल्सर पर विवेक व कमर हसन तथा स्प्लेंडर पर मैं तथा रीतिकेश आगे निकल कर रुक गए पीछे से पल्सर से विवेक और कमर उसे घेरकर उसके मोबाइल और पैसा छिनने लगे थे तब वह व्यक्ति उलझ गया जिसके ऊपर कमर ने 12 बोर कट्टे से फायर करते हुए मंजिर पट्टी पट्टी होते हुए हम लोग मेहनगर चले गए हम चारों

लोग आज से लगभग डेढ़ माह पहले गाजीपुर सहर में एक आदमी से 50000 रू0 मोबाइल कट्टा सटाकर छीन लिए थे तथा करीब 2 माह पूर्व सहजेरपुर पुलिया के पास एक मारुती बैन फॉर्चून के सामान की डिलीवरी पर था उसको अम्बारी से पीछा करते हुए सहजेरपुर के पास रोककर हम चारों लोगों ने 28000 रू0 तथा दो मोबाइल छीन लिए थे दोनों मोबाइल को भागते समय रास्ते में फेंक दिए थे इसी प्रकार करीब 1 माह पूर्व एक बैंक कर्मचारी को पवई से पीछा करते हुए टेउगां नहर पर रीवा सुल्तानपुर के पास हम चारों लोगों ने कट्टा सटाकर 58000 रू0 छीन कर भाग गए थे सदरपुर बरौली की घटना से 1 दिन पहले जहानागंज में एक मो0सा0 की डिग्गी तोड़कर कुछ जेवरात लेकर भाग गए थे इस घटना के हम चारों लोग से दिनांक 14.4.21 को फरीद गंज बाजार गम्भीरपुर के एक बगीचे से एक मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस उठाकर लेकर चले गए थे।

4. पंजीकृत मुकदमा –

1- मु0अ0सं0 118/21 धारा 307,411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 115/2021 धारा 392/393/307 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 118/21 धारा 307,411,419,420,467,468,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बेलाल पुत्र अब्बास अहमद नि0 मोहल्ला संतकबीर नगर कस्बा व थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी-

1. एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2.चोरी की मोटर साइकिल फर्जी रजिस्टेशन नं0 के साथ व एक अदद RC पेपर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 रत्नेश कुमार सिंह थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

2. उ0नि0 शिवभंजन प्रसाद थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

3. हे0का0 कमलेश मिश्रा थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

4. हे0का0 परवेज अख्तर थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

5. का0 श्रवण शुक्ला थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

6. रि0का0 आलोक सिंह थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

7. म0का0 माण्डवी वैद्य थाना- फूलपुर, आजमगढ़।

8.म0का0 रमा देवी थाना- फूलपुर, आजमगढ़।